आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 145/2019-2020

(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

30/12/2020 दाता श्री राम करण सिंह, पिता-बनौधी सिंह, ग्राम-शेखपुरा, थाना-करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
04	819	$2\frac{1}{2}$ डी०	उत्तर-गोर्वधन सिंह दक्षिण-गेयानी सिंह पूरब-सुदेश्वर सिंह पश्चिम-नीज

मौजा-शेखपुरा, थाना नं०-111, थाना+अंचल-करपी, जिला-अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से उनके पोता बालजीत कुमार, पिता-रामएकवाल सिंह उपस्थित हुए और न किसी प्रकार के आपति नही होने से संबंधित आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी, करपी के पत्रांक 647 दिनांक 21.12.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है एवं गवाह में रामदेयाल सिंह का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि अखज महतो वगैरह, पिता-ठाकुरी महतो के नाम पर खतियान दर्ज है एवं दाता खतियानी रैयत के दादा है। रामकरण सिंह, पिता-बनौधी सिंह के नाम से जमाबंदी चल रही है। महेन्द्र सिंह एवं हंसराज कुमार, पिता-कृष्णचंद सिंह एवं रामएकबाल वर्तमान में दखल कब्जा है जो दाता के पोता है। भूमि रैयति खाते की जो धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था।

अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखाप्रित एवं संशोधित

30/12/2020

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30/12/2020

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।